

आदेश

आरक्षी दीपेश कुमार, पीएनओ-162330696 को मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 4449/2022 में पारित आदेश के समादर एवं यूपी-112 मुख्यालय के पत्र संख्या:यूपी-112-09(53)/2021/3848 दिनांक 30.09.2022 में की गयी संस्तुति के आधार पर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के आदेश संख्या-डीजी-चार-स्था0-(504)/2021 दिनांक 29.11.2021 द्वारा कुशीनगर से यूपी 112 कुशीनगर अस्थायी पायलट किया गया स्थानांतरण को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इनका गृह जनपद बागपत है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त-सूचीसंख्या-एसपी-(ई-1)(जनरल)-यूपी 112-491/2022 दिनांक: 12-10-2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-481/2022/835 DT 13-10-2022

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
निमित्त पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या:-डीजी-चार-स्था0-(481)/2022/ 935 दिनांक:अक्टूबर 13, 2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल यूपी 112 कुशीनगर से कार्यमुक्त कर प्रस्थान कराते हुए जनपद कुशीनगर में आमद कराने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, यू0पी0-112, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।